मुकदमा आज [illegible] बहस [illegible] को पेश होवे

सुना गया। अधीन वादी ने प्रार्थना पत्र के वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण की भूमि [illegible] ख० सं० 335 तथा [illegible] विवादित [illegible] जो कि प्रार्थीगण को पैतृक भूमि के [illegible] प्राप्त हुई थी। जिसके प्रार्थीगण [illegible] खातेदार है। अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 उक्त आराजी पर किसी भी प्रकार का कब्जा एवं स्वत्व नहीं [illegible] के उपरान्त भी [illegible] ताकत के बल पर [illegible] कब्जे [illegible] में दखलंदाज कर प्रार्थीगण को बेदखल करने पर आमादा है। जिसका उनको कोई भी अधिकार नहीं है अप्रार्थी सं० 1 लगायत 3 द्वारा लगातार उक्त विवादित भूमि पर कब्जा करने की धमकी दी जा रही है यदि अप्रार्थी अपने मकसद में सफल हो जाते हैं तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। प्रार्थीगण का विवादित आराजी के खातेदार होने से प्रार्थीगण को यह अधिकार प्राप्त है कि वे अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 को तफैसलवाद अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे कि वे वाद निर्णय तक प्रार्थीगण की आराजी एवं कब्जे काश्त में दखलंदाजी नहीं करे। उक्त कार्य न तो स्वयं करे न अपने प्रतिनिधि से करावें। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को तफैसलवाद अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे।

अधीन अप्रार्थीगण ने दौराने बहस जवाब प्रार्थना पत्र के अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने उक्त वाद अपनी खातेदारी अधिकार की भूमि पर स्थायी निषेधाज्ञा बाबत पेश किया गया है किन्तु जिस प्रकार प्रार्थना पत्र में तथ्य वर्णित किये गये हैं वे आधारहीन एवं अप्रार्थीगण को परेशान कर अप्रार्थीगण की भूमि को हड़पने की मंशा से पेश किया गया है वास्तव में प्रार्थीगण की भूमि ख०सं० 335 के दक्षिण दिशा में अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी अधिकार की भूमि ख०सं० 333 स्थित है। अप्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण व प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख०सं० 333 व 335 के मध्य ख०सं० 333 पर 12-13 फिट चौड़ा

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	रास्ता जल सरणी बना रखा थी जिसे प्रार्थीगण ने जबरन हांक कर अपनी भूमि में मिला लिया एवं गलत तथ्यो के साथ अप्रार्थीगण की भूमि पर कब्जा करने एवं रास्ते व जलसरणी की भूमि पर कब्जा करने की मंशा से यह वाद पेश किया गया है। उक्त रास्ते एवं जल सरणी की भूमि पर कब्जा करने एवं हाकने पर अप्रार्थीगण ने एफआईआर दर्ज करवायी थी जिसमें प्रार्थीगण के विरूद्व चालान पेश हुआ है। साथ ही तहसीलदार तालेडा ने मौका रिपोर्ट में रास्ता होने की ताकीद की है। बहस के समर्थन में वकील अप्रार्थी ने फर्द दस्तावेज चार्जशीट की प्रति, नक्शा ट्रेस की फोटे प्रति, जमाबन्दी की प्रति व तहसीलदार तालेडा की मौका रिपोर्ट की प्रति पेश की। बहस उभयपक्ष पर मनन करने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन करने पर यह प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप नही होकर वरन ख0सं0 333 की भूमि पर आने जाने हेतु बने रास्ते व जल सरणी की भूमि को लेकर पक्षकारान् के मध्य विवाद है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने ऐसा कोई तथ्य एवं दस्तावेज भी पेश नही किया जो यह प्रमाणित करे कि प्रार्थीगण को किस प्रकार अपूरणीय क्षति हुई है अथवा होने की आशका है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को प्रमाणित करने में असफल रहने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो। Sd/-